

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
आर०एम०ए० वाद सं०-०७/२०१५

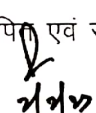
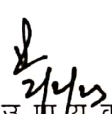
नीलमुनी कोड़ाईन एवं अन्य
बनाम
सरबनी कोड़ाईन एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
02.02.2023	<u>आदेश</u> यह अपीलवाद, अपीलकर्ता नीलमुनी कोड़ाईन, पति-दुलाल कोड़ा एवं कार्तिक कोड़ा, पिता-दुलाल कोड़ा, दोनों का सा०-नित्यानंदपुर, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर०ई०आर० वाद सं०-०९/२००३-०४ में दिनांक-०८.०६.२०१५ को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। इस वाद में (१) झारखण्ड राज्य (२) सरबनी कोड़ाईन, पति-स्व० मंगल कोड़ा, सा०-नित्यानंदपुर, महेशपुर (३) गजली कोड़ाईन, पति-फुलबाबू कोड़ा (४) फुलबाबू कोड़ा, पिता-सुकु कोड़ा दोनों सा०-सीतारामपुर, थाना-महेशपुर (५) रानी कोड़ा, पति-नरेन कोड़ा (६) नरेन कोड़ा, पिता-स्व० सोम कोड़ा दोनों सा०-नुनाडांगा, थाना-महेशपुर (७) दीदीमुनी कोड़ाईन, पति-सुनील कोड़ा एवं (८) सुनील कोड़ा, पिता-लखीचन्द्र कोड़ा, दोनों का सा०-रांगामाटी, थाना-नलहाटी, जिला बीरभूम (पं०बं०) को पक्षकार बनाया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के अपीलकर्ता अंचल महेशपुर के मौजा इच्छानगर के जमाबंदी सं०-१३, मौजा-नित्यानंदपुर के जमाबंदी सं०-१५ एवं मौजा करकटगड़िया के जमाबंदी सं०-२० अन्तर्गत विभिन्न दागों की भूमि से इस वाद के उत्तरवादीगण को उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन पर आर०ई०आर० वाद सं०-०९/०३-०४ संस्थित कर सुनवाई की गई एवं दिनांक-०८.०६.२०१५ को पारित आदेश द्वारा उच्छेदी संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया गया। यह अपील वाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में रामलाल कोड़ा, फुलचौद कोड़ा दुर्गा कोड़ा के नाम से दर्ज है। रामलाल कोड़ा एवं फुलचौद कोड़ा की नावलद मृत्यु हो गई। दुर्गा कोड़ा के दो पुत्र फकीर कोड़ा एवं	

✓

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	सनातन कोड़ा हुए। फकीर कोड़ा को एक पुत्र मंगल कोड़ा एवं एक पुत्री नीलमुनी कोड़ाईन (अपीलकर्ता) हुई। मंगल कोड़ा की पत्नी सरबनी कोड़ाईन (उत्तरवादी) एवं उनकी तीन पुत्रियाँ हुई। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत जमाबंदी अन्तर्गत उनका 1/4 अंश हिस्सा में पड़ता है। कोड़ा, अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आता है तथा हिन्दू धर्मावलम्बी है। उत्तरवादी द्वारा जबरन उनकी हिस्से की सम्पत्ति पर दखल कब्जा कर लिया गया है। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया। उत्तरवादी के विज्ञा अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि विगत सर्वे खतियान में चार खतियानी रैयतों रामलाल कोड़ा, फुलचौंद कोड़ा, दुर्गाचरण कोड़ा एवं लखीराम कोड़ा के नाम से दर्ज है। दुर्गाचरण कोड़ा को छोड़ अन्य खतियानी रैयतों की मृत्यु नावलद हो गई। दुर्गा कोड़ा को फकीर कोड़ा एवं सनातन कोड़ा नामक पुत्र हुए। दोनों भाईयों द्वारा सम्पत्ति का आधा-आधा बंटवारा कर लिया गया एवं अपने हिस्से का दखल-भोग करने लगे। फकीर कोड़ा को एक पुत्र मंगल कोड़ा एवं एक पुत्री नीलमुनी कोड़ाईन हुई। नीलमुनी कोड़ाईन की शादी साधारण रीति से हुई थी। कोड़ा जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है। सम्पत्ति का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है। जब सम्पत्ति का बंटवारा ही नहीं हुआ है तो कैसे कोई सयुक्त सम्पत्ति पर दावा कर सकता है। यह बंटवारा/स्वत्व से संबंधित मामला है। बंटवारे के बाद ही यह स्पष्ट हो सकता है कि कोई किसी दूसरे की हिस्से की भूमि पर दखल किया हुआ है। उनके द्वारा अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया। संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलकर्ता एवं उत्तरवादी दोनों ही खतियानी रैयत दुर्गा कोड़ा के वंशज है। दुर्गा कोड़ा के दो पुत्र फकीर कोड़ा एवं सनातन कोड़ा हुए। फकीर कोड़ा का एक पुत्र मंगल कोड़ा एवं एक पुत्री नीलमुनी कोड़ाईन हुई। इनके बीच सम्पत्ति के बंटवारा होने संबंधी कोई कागजात/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। दोनों ही पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है एवं सम्पत्ति का बंटवारा भी नहीं हुआ है। ऐसे में किसी एक पक्षकार को बाहरी मानते हुए उसे उच्छेद किया जाना उचित नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा JLJR 2004(vol-3) के पृष्ठ सं0-657 तथा PLJR 1985 के पृष्ठ सं0-820 में दर्ज न्याय निर्णय जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(1)(c) से संबंधित है, का हवाला देते हुए कहा गया है कि

2

कोश की कम लिख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	कोड़ा जाति हिन्दू धर्मावलम्बी होते हैं। ये लोग हिन्दू रीति-रिवाज का पालन करते हैं तथा उक्त जाति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, जिसमें पुत्री को उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत Class-I heir माना गया है। आवेदिका द्वारा खुद को अनुसूचित जनजाति का बताते हुए हिन्दू रीति-रिवाजों का पालन करने वाला बताया गया जो संदेहास्पद है। यद्यपि संथाल जाति का अपना Customary law है परन्तु कोड़ा जाति जो संथाल नहीं है, के लिए अलग से कोई Customary law नहीं है। स्पष्टतः यह विवाद मूल रूप में हक, स्वत्व एवं बंटवारे के साथ-साथ उत्तराधिकार का भी है। जिसपर निर्णय लेना सक्षम व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय के आदेश से असहमत होने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है। उभय पक्ष के विज्ञा अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापि एवं संशोधित।  उ पा यु क्त, पाकुड़।  उ पा यु क्त, पाकुड़।	